

# कार्यालय: निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

विषय:—बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान निस्तारण अभियान।

प्रसंग:—राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: 6(1)वित्त/साविलेनि/2005/पार्ट-1 दिनांक 02.04.18, 27.09.18 एवं इस कार्यालय के समसंख्यक निर्देश दिनांक 08.05.18, 22.05.18, 28.05.18, 29.06.18 व 30.10.18

राज्य सरकार एवं निदेशालय स्तर पर अनुपयोगी सामान निस्तारण के समय समय पर निर्देश दिये जाने पर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए/उच्च अधिकारियों के विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान पाया जाता है कि कमरों में बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान पड़ा है एवं विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए कक्षा कक्ष पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार कार्यालयों में काफी मात्रा में बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान रहने के कारण अधिकारी/कर्मचारियों को बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। स्वच्छ कार्यालय/विद्यालय के लिए ऐसी सामग्री का त्वरित निस्तारण अपेक्षित है। अतः राज्य सरकार के आदेशों की पालना में विभाग स्तर पर बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान का समयबद्ध अभियान के रूप में निस्तारण का निर्णय लिया गया है। अभियान की मोनेटरिंग के लिए निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर निम्न अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है :-

1. श्री कुलदीप सिंह -लेखाधिकारी
2. श्री विनोद जोशी -सहायक लेखाधिकारी II

अभियान के निम्न चरण उनके सामने अंकित तिथि तक पूर्ण करने होंगे:-


क्रसं	चरण	दिनांक
1.	सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-1A के नियम 18 के अन्तर्गत सामान के निरीक्षण/सर्वेक्षण के लिए समिति गठित करना।	04.01.2019 तक
2.	सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-1A के नियम 18 के अन्तर्गत गठित समिति से प्रपत्र एस.आर. 5 व 6 में मय हस्ताक्षर रिपोर्ट प्राप्त करना।	11.01.2019 तक
3.	निरीक्षण/सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-1A के आइटम सं0 11 के अन्तर्गत बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी घोषित करना।	16.01.2019 तक
4.	बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी घोषित सामान जो नीलामी द्वारा निस्तारित किया जाना है की नीलामी हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम पार्ट-1A के नियम 22 के अन्तर्गत नीलामी समिति का गठन करना।	18.01.2019 तक
5.	नीलामी हेतु गठित समिति की सहमति के आधार नीलामी सूचना जारी करना एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम पार्ट 1A के नियम 25 के अन्तर्गत प्रचार प्रसार करना	21.01.19 तक
6.	नीलामी कार्यवाही सम्पन्न करना।	नीलामी सूचना में निर्धारित तिथि को
7.	नीलाम से प्राप्त राशि चालान जमा करना।	नीलामी से राशि के प्राप्त होने के दिवस या अगले कार्य दिवस।

*Handwritten signature*

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	गत माह तक निस्तारित सामान का		इस माह में निस्तारित सामान का		राजकोष में जमा कराने के चालान नं. व दिनांक	कुल योग		
		पुस्तक मूल्य	नीलामी से प्राप्त आय	पुस्तक मूल्य	नीलामी से प्राप्त आय		पुस्तक मूल्य	नीलामी से प्राप्त आय	
		1	2	3	4		5	6	7

05.02.2019 तक भिजवायें।

बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान निस्तारण अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

  
(श्याम सिंह राजपुरोहित)

निदेशक  
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

दिनांक: 18/12/18

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/पेंशन/नकारा सामान/18-19/79  
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर
2. शासन सचिव, वित्त (बजट) (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग) वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर
4. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान (मुख्यालय)
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. सम्पादक शिविरा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं समस्त उपरोक्त को ई-मेल भिजवाने हेतु।
9. प्रभारी अधिकारी शाला दर्शन अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. समस्त प्रधानाचार्य जि. शिक्षा एवं प्रशिक्षण

  
निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर



